

राजस्थान
अपील प्रकरण संख्या : 09/2016
दायरा तिथि : 01.09.2016
निर्णय तिथि : 23-01.2017

अपील उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

अपील अधिकारी : श्री सुरेश कुमार ओला, आई.ए.एस.

राजस्व अपील प्रकरण संख्या : 09/2016

दायरा तिथि : 01.09.2016

निर्णय तिथि : 23-01.2017

अपीलान्त :-

1. जीवा पुत्र स्व. मानाराम
2. अणदा पुत्र स्व. मानाराम
3. लाला पुत्र स्व. मानाराम
4. भीमा पुत्र स्व. मानाराम
5. माना पुत्र स्व. मानाराम जातिगण गरासिया
निवासी भीमाणा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
ब न म

रेस्पोंडेन्टस :-

1. सरपंच ग्राम पंचायत, भीमाणा, पंचायत समिति बाली
2. तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :-

1. श्री विक्रमसिंह सोलंकी
अभिभाषक अपीलान्त की ओर से
2. तहसीलदार, बाली
पैरोकार सरकार

: आदेश :

दिनांक : 23-01.2017

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलान्त द्वारा उक्त अपील ग्राम भीमाणा के नामान्तरकरण संख्या 376 संबध में सरपंच ग्राम पंचायत, भीमाणा द्वारा दिनांक 01.01.1971 को पारित आदेश से व्यथित होकर पेश की। अपीलान्त ने उक्त अपील में निवेदन किया कि मौजा भीमाणा में स्थित कृषि भूमि गत् खसरा नंबर 2958, 2992, 2948, 2949, 2952, 2955, 2956, 2957, 2942, 2943, 2950, 2951, 2992 कुल खसरा 13 जुमले रकबा 60 बीघा 09 बिस्वा भूमि अपीलान्त के परदादा पना पुत्र जीवा के खातेदारी की भूमि थी। जिस भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो अनुसार पना पुत्र जीवा की मृत्यु के बाद पना पुत्र जीवा के चार पुत्रो यथा अमरा, भगा, राजा, हीरा के नाम विधि अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाना था। अपीलान्त के परदादा पना पुत्र जीवा फौत होने पर वादग्रस्त भूमि के संबध में नामान्तरकरण संख्या 376 हल्का पटवारी भीमाणा द्वारा दिनांक 23.11.69 को दाखिल किया गया। जिस नामान्तरकरण संख्या 376 के द्वारा वादग्रस्त भूमि में पना पुत्र पुत्र जीवा के चारो पुत्रो यथा अमरा, भगा, राजा, हीरा का नाम दर्ज नहीं कर अमरा, राजा, हीरा का ही नाम दर्ज किया गया, व अपीलान्त के दादा भगा पुत्र पना का नाम दर्ज नहीं किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 376 को निरीक्षक भूअभिलेख बेडा द्वारा दिनांक 23.11.1969 को जांच किया गया तथा सरपंच ग्राम पंचायत भीमाणा द्वारा दिनांक 1.1.1971 को स्वीकृत कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर अधिकार अभिलेखों में इन्द्राज हो गया। तथा इसके बाद भूप्रबन्ध कार्यवाही के पश्चात् बने हाल खसरा नंबर 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6575, 6576, 6590, 6593, 6594, 6595, 6596, 6597, 6598, 6599, 6600, 6616, 6617, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132, 7133, 7234, 7135, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149, 7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158, 7159, 7160, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7226, 7235, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249 कुल खसरा 71 कुल रकबा 10. 12 हैक्टर व हाल खसरा नंबर 7228, 7230, 7250, 7251, 7251/7649 कुल खसरा-5 कुल रकबा 2.06 हैक्टर में अमरा व राजा के वारिसानो का नाम ही दर्ज किया गया। अपीलान्त अपने परदादा पना पुत्र जीवा से प्राप्त पुश्तैनी हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज है, परन्तु अधिकार अभिलेखों में खातेदार दर्ज नहीं होने से रेकर्ड में खातेदारो ने अपीलान्त को मौके पर बेदखल करने की कोशिश

उप - सरपंच अधिकारी, बाली

पेन नमगता

अपील संख्या 09/2016 अनवान जीवा वगैरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भीमाणा वगैरा
अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

की। तब राजस्व रेकॉर्ड की नकले पर अपीलान्त को इस त्रुटि का ज्ञान हुआ है। अपीलान्त अनपढ़ होने से नकले प्राप्त करने पर दिनांक 22.7.2016 को सर्वप्रथम इस त्रुटि की जानकारी होने से अन्दर अवधि उक्त अपील पेश की है। विधि अनुसार अपीलान्त अपने परदादा से प्राप्त वादग्रस्त भूमि में चौथे हिस्से के हकदार हैं। जबकि नामान्तरकरण संख्या 376 से अपीलान्त के दादा का नाम दर्ज नहीं किये जाने से उसके बाद अमरा व राजा के वारिश्मान का नाम ही वर्तमान अधिकार अभिलेखों में चल रहा है। जिससे प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलान्त को वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा में सह खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को सम्मन जारी किये गये। रेस्पोंडेन्ट को जारी सम्मन तामील होने के बावजूद नियत पेशी दिनांक 03.11.2016 व उसके पश्चात् की नियत तिथियों पर रेस्पोंडेन्ट संख्या-01 सरपंच ग्राम पंचायत भीमाणा उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोंडेन्ट संख्या-02 परोकार सरकार के प्रतिनिधि निरीक्षक भू0अभिलेख भीमाणा द्वारा अपीलान्त की अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुये रिपोर्ट पेश की जाने से प्रकरण में वकुलाय की बहस सुनी गई। उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन से यह जाहिर है कि मौजा भीमाणा में स्थित कृषि भूमि गत् खसरा नंबर 2958, 2992, 2948, 2949, 2952, 2955, 2956, 2957, 2942, 2943, 2950, 2951, 2992 कुल खसरा 13 जुमले रकबा 60 बीघा 09 बिस्वा अपीलान्त के परदादा पना पुत्र जीवा के खातेदारी की भूमि थी। अपीलान्त के परदादा पना पुत्र जीवा फौत होने पर वादग्रस्त भूमि के संबध में नामान्तरकरण संख्या 376 हल्का पटवारी भीमाणा द्वारा दिनांक 23.11.69 को दाखिल किया गया। जिस नामान्तरकरण संख्या 376 के द्वारा वादग्रस्त भूमि में पना पुत्र पुत्र जीवा के चारो पुत्रो यथा अमरा, भगा, राजा, हीरा का नाम दर्ज नहीं कर अमरा, राजा, हीरा का ही नाम दर्ज किया गया, व अपीलान्त के दादा भगा पुत्र पना का नाम दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलान्त के दादा भगा पुत्र पना का नाम दर्ज नहीं होने से उनके देहांत के बाद अपीलान्त के पिता का नाम भी दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार प्रकरण में मूल रूप से अपीलान्त के दादा का नाम ही दर्ज होने से रहा, जिससे बाद में अमरा व राजा के वारिश्मान का नाम वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में दोहराया जाता रहा है। विधि अनुसार अपीलान्त भी अपने परदादा से प्राप्त वादग्रस्त भूमि में निहित अपने दादा भगा पुत्र पना का 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। अतः वाद अवलोकन पत्रावली व सुनने वकुलाय अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। मौजा भीमाणा स्थित कृषि भूमि गत् खसरा नंबर 2958, 2992, 2948, 2949, 2952, 2955, 2956, 2957, 2942, 2943, 2950, 2951, 2992 कुल खसरा 13 जुमले रकबा 60 बीघा 09 बिस्वा के संबध में अपीलान्त के परदादा पना पुत्र जीवा के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि के संबध में दाखिल एवं स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 376 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, वाली को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे पना पुत्र जीवा के सभी वारिश्मान अमरा, भगा, राजा, व हीरा के वारिश्मान की जांच कर गत् खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबर में नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट 60 दिवस में प्रस्तुत करे। आदेश प्रति तहसीलदार, वाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



निर्णय आज दिनांक 23-01-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
उप-खासदार, वाली

उपखण्ड अधिकारी,
उप-खासदार, वाली